



2026:AHC:179845

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी. एन. एस. एस के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 6506 वर्ष 2026

शमीम एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सैयद शाहनवाज शाह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण की ओर से सत्र परीक्षण संख्या 364 वर्ष 2019, मुकदमा अपराध संख्या 308 वर्ष 2019, धारा 307, 323, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना-चांदपुर, जनपद-बिजनौर में, उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. यह द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन है। प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 2727 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 03.04.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था। द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समन्वय पीठ द्वारा मुक्त किया गया है और तत्पश्चात इसे इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है, जो अग्रिम जमानत मामलों की नियमित क्षेत्राधिकार वाली न्यायालय है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया नया आधार यह है कि इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने के पश्चात, सह-अभियुक्त अलाउद्दीन, जिसका मामला आवेदकगण के प्रकरण के समान है, को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 3939 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 01.05.2026 के आदेश द्वारा विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकगण के प्रकरण पर भी अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। आवेदकगण का एक अन्य प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान तालाबंदी के उल्लंघन से संबंधित मामला था और उक्त मामला अब वापस ले लिया गया है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षी-1 एवं अभियोजन साक्षी-2 के बयानों पर समुचित विचार करने के पश्चात इस न्यायालय ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा है कि सह-अभियुक्त अलाउद्दीन को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने वाले आदेश में, आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन के निरस्त किए जाने के इस तथ्य को न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। उनका तर्क है कि सह-अभियुक्त अलाउद्दीन को अग्रिम जमानत प्रदान करते समय इस तथ्य पर इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किए जाने के अभाव में, आवेदकगण समानता के आधार पर राहत प्राप्त करने के लिए उक्त आदेश का सहारा नहीं ले सकते। तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन नहीं किया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. आवेदकगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया है। आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन के निरस्त किए जाने के पश्चात, समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अलाउद्दीन को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1327 वर्ष 2022 में दिए गए अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के पश्चात द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन को पोषणीय पाया था।

8. न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत आदेश के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतः लागू नहीं होते हैं। तथापि, यह भी सत्य है कि जमानत के निरस्तीकरण में समानता का कोई सिद्धांत नहीं है।

9. प्रथम दृष्टया, विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित अभियोजन साक्षी-1 के बयान के अवलोकन से, देशी तमंचा लहराने की भूमिका सह-अभियुक्त शहजाद को सौंपी गई है और शेष अभियुक्तों को लोहे की छड़ों एवं 'सरिया' के प्रयोग की सामान्य भूमिका दी गई है। यहां तक कि अभियोजन साक्षी-2 के रूप में परीक्षित साक्षी मजनू के बयान में भी आवेदकगण को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी-3 मुदित अग्रवाल के बयान में भी अभियुक्तगण को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। केवल शहजाद को अग्नेयास्त्र के प्रयोग की भूमिका सौंपी गई है। घायल मुदित के अग्रजंघिका एवं अनुजंघिका के ऊपरी सिरे में अस्थिभंग हुआ है, किन्तु खोपड़ी के क्ष-किरण में कोई क्षति नहीं पाई गई। संगणित स्तर-चित्रण आख्या में दाहिनी कनपटी की हड्डी में सूक्ष्म अस्थिभंग अंकित किया गया है। उक्त सिर की चोट को घायल मुदित अग्रवाल के मुख्य परीक्षण में किसी भी अभियुक्त को विशेष रूप से आरोपित नहीं किया गया है।

10. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं पाता हूं कि आवेदकगण का मामला सह-अभियुक्त अलाउद्दीन के प्रकरण के समान है और आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान करना उचित होगा, क्योंकि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त के प्रकरण पर आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन के निरस्त किए जाने के पश्चात अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार किया गया है।

11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

12. आवेदकगण-शमीम एवं नसीम की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. आवेदकगण जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

ii. आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv. आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे;

13. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का निर्णय करने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।